Issue of Possession Letter to Allottees in Rohini

529. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY; Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Delhi Development Authority has collected money from the individuals who were allotted land in Sectors 15 and 16 in Rohini after issuing them demand-cum-allotment letters in 1989;

(b) if so, the reasons for not issuing possession letters to the individuals who have deposited the money;

(c) whether DDA would pay them interest on the money deposited by individuals at the same rate as it charges from individuals who fail to deposit the money by the stipulated date in response to the demand-cum-allotment letter; and

(d) if not, the reasons therefor, and by when DDA would issue possession letters to these individuals?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT CSHRI MURASOLI MARAN); (a) to (d) DDA has informed that the Demand-cum-Allotment letters were sent in May 1988 to those registrants who were successful for 4th draw of lots and the process of issue of possession letters was commenced in October 1989. DDA are of the view that in view of the short time gap and the fact that subsidised rates are being charged, no interest is proposed to be paid.

Involvement of Middleman in the of Sagar

530. SHRI A. G. KULKARNI:
SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL:

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to refer to reply to Unstarred Question 1262 given in the Rajya Sabha on 23rd March, 1990 and state;

(a) whether any final report of the Investigating Agencies has been received and if so, what are the details thereof; and

(b) whether it is a fact that political influence was brought on the Ministry, when sugar was imported to allot the contract to a particular firm as reported in the Press and if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAM PUJAN PATEL); (a) and (b) No, Sir. Report in the matter is still awaited.

शिक्षित बेरोजगार

531. श्री कपिल वर्मा :
श्रीमती वीणा वर्मा :
श्रीमती कैलाशपति :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय दिल्ली में सात लाख शिक्षित बेरोजगार हैं, यदि हां, तो शिक्षित बेरोजगारों की राज्यवार संख्या क्या है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या दोगुनी हो गई है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वःरोजगार योजना के अधीन कितनी राशि अनुदान के रूप में दी गई है ; और

(घ) क्या सरकार इस प्रकार के व्यक्तियों को काम का अधिकार और बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार कर रही है ?

श्रम कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पप्सवान) : (क) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिसम्बर,

1989 के अन्त में दिल्ली के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले शिक्षित व्यक्ति (मैट्रिक व उससे ऊपर), यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, 5.64 लाख थे । 1988 के अन्त में रोजगार चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों का राज्य-वार रजिस्टर दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । (नीचे देखिए)

(ख) 1983 तथा 1988 के अन्त में, देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के रोजगार चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार थी :-

(लाखों में)

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1983 . .	9.70	2.05
1988 . .	17.38	4.30

(ग) शिक्षित बेरोजगार युवाओं की स्व:रोजगार योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों की रिलीज की गई पूर्ण पूंजीगत आर्थिक सहायता की राशि नीचे दी गई है :-

वर्ष	पूंजीगत आर्थिक सहायता की राशि (रु. करोड़)
1987-88 . .	70.00
1988-89 . .	80.54
1989-90 . .	60.00

(घ) सरकार प्रत्येक नागरिक के लिये काम का अधिकार देने के लिये वचनबद्ध है । सभी नागरिकों को किसी किस्म की रोजगार गारन्टी प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है ।

विवरण

31-12-1988 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज शिक्षित (मैट्रिक और इससे ऊपर) नौकरी चाहने वालों की संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश	(हजारों में)
1 2	3
राज्य	
1. आंध्र प्रदेश	1495.0
2. अरुणाचल प्रदेश	0.3
3. असम	469.0
4. बिहार	1630.8
5. गोवा	41.8
6. गुजरात	510.4
7. हरियाणा	313.6
8. हिमाचल प्रदेश	231.4
9. जम्मू व कश्मीर	47.6

1	2	3
10.	कर्नाटक	638.9
11.	केरल	1712.5
12.	मध्य प्रदेश	1116.3
13.	महाराष्ट्र	1627.2
14.	मणिपुर	139.2
15.	मेघालय	9.6
16.	मिजोरम	11.0
17.	नागालैंड	12.8
18.	उड़ीसा	429.6
19.	पंजाब	298.1
20.	राजस्थान	466.1
21.	सिक्किम *	—
22.	तमिलनाडु	1463.2
23.	त्रिपुरा	46.7
24.	उत्तर प्रदेश	1893.9
25.	पश्चिम बंगाल	2238.8
संघ शासित प्रदेश		
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4.4
2.	चंडीगढ़	88.3
3.	दादर और नगर हवेली	1.2
4.	दिल्ली	515.4
5.	दमन व द्वीव**	—
6.	लक्ष्यद्वीप	1.7
7.	पांडिचेरी	57.0
	योग :	17511.8

नोट :– 1. *कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है ।
2. **आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।